जेन-ज़ी की ताकत के आगे झुकी सत्ता : जूली

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया एवं डिजिटल मंच विभाग द्वारा आयोजित बदलाव के लिए जेन-ज़ी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी वर्षों से युवाओं, छात्रों और आम जन के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक लगातार संघर्षरत रहे हैं और आज देश के युवाओं की आवाज और उनके दिलों की धड़कन बन चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सत्ता पक्ष भी केवल राजनीतिक विवशता में जेन-ज़ी से संपर्क साधने का ढोंग कर रहा है।

खोया पाया

मेरे प्लॉट नम्बर-78, केदार विहार, गाँव- कोडर, सांगानेर, जयपुर का ओरिजनल अलाटमेंट लेटर + कब्जा पत्र कहीं खो गया मिलने पर सूचित करें। सुदर्शन अरोड़ा-8385041199

मैं विनोद कुमार शर्मा S/o शिव नारायण शर्मा हुं की मेरी प्रॉपर्टी पटेल नगर योजना ग्राम पंचायत सिवार भूखंड संख्या A-55 प्रकाश पुत्र घांसी लाल बागड़ा के नाम से मूल पट्टा था जो कही गुम हो गए है । मिलने पर सूचित करे -9785277838

नाम परिवर्तन

मैं कल्पना कुमारी/कल्पना (वरिष्ठ अध्यापिका) राकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालापुरा ग्राम पंचायत दसूक, ब्लॉक-अराई (अजमेर) में कार्यरत हूं मैंने अपना नाम कल्पना कुमारी/कल्पना से बदलकर कल्पना मौर्य रख लिया है, अतः भविष्य में मुझे कल्पना मौर्य के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

I have changed my daughter name from Vrinda to Vrinda Gautam D/0 Karan Sharma for all purpose. Resi.:- M-14, Anandpuri, Near Delhi Eye Hospital, Adarsh Nagar, Jaipur. Karan Sharma (Father).

I army no 14515148P Ex HONORARY NAIB SUBEDAR Ranveer singh shekhawat resident of 56-B shri narayan nagar vistar dadi ka phatak jhotwara jaipur that i want to change name of my spouse from BAWAR KANWAR to BHANWAR KANWAR vide affidavit dated 2 sep 26 before sub divisional magistrate jaipur city south

I Naveen kulhari S/O Ramesh Chandra resident of churu (Raj asthan) that my son name is wrong entered in education documents VIJIT but correct name is VIJIT KULHARI. in future called him VIJIT KULHARI for all purposes.

I naveen kulhari S/O ramesh chandra resident of churu (Rajasthan) that my son name is wrong entered in education documents VAIBHAV but correct is VAIBHAV KULHARI . in future called him VAIBHAV KULHARI for all purposes

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री अजय फौजदार पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह फौजदार, निवासी 404, आदित्य रेजीडेन्सी, जगतपुरा, जयपुर ने एक पुरानी कार ऑडी (AUDI), रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 19 CK 6215, श्री यशवर्धन विजयवर्गीय पुत्र श्री ललित विजयवर्गीय, निवासी 117, बजाज नगर, गांधीनगर, जयपुर, राजस्थान से कुल विक्रय प्रतिफल रू. 11,00,000/- (ग्यारह लाख रूपये) का पूर्ण भुगतान कर, माह जनवरी 2025 में निष्पादित लिखित एग्रीमेंट (विक्रय अनुबंध) के द्वारा क्रय किया था।
परन्तु अब यशवर्धन विजयवर्गीय की नीयत में खोट आने के कारण उक्त वाहन को वह पुनः रीफाईनेन्स कराने या किसी अन्य को बेचने पर उतारू है। इसके संदर्भ में एफआईआर क्रमांक 0406 दिनांक 13.08.2026, थाना रामनगरिया, जयपुर शहर (पूर्व), में मेरे अभिभाष्य द्वारा कराई गई है। इस आम सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति उक्त वाहन संख्या RJ19 CK 6215 का क्रय करता है, तो उसके द्वारा किया गया लेन-देन शून्य एवं अमान्य माना जाएगा, जिसका जिम्मेदार वह व्यक्ति स्वयं होगा। मेरे अभिभाष्य की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
अधिवक्ता
दिनांक: 08-09-2026 RMA & Associates, जयपुर
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर, मो. 9829011299

आम-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती अमीना पत्नि श्री पप्पू निवासी- मकान नं.37 मिलन कॉलोनी, पुलिया नं.2 चारदरवाजा जयपुर का पुत्र सलमान उनके कहने में नहीं है, सलमान मेरी अभिभाष्या का कहना नहीं मानता है एवं लडाई झगडा करता है। इसलिये मेरी अभिभाष्या व उसके पति अपने पुत्र सलमान से दुःखी है, इसलिये मेरी अभिभाष्या ने अपने पुत्र सलमान को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल करते हुए सलमान से अपने सम्बन्ध समाप्त कर लिये है। भविष्य में कोई भी व्यक्ति एवं संस्था मेरी अभिभाष्या के पुत्र सलमान से कोई भी लेन देन संव्यवहार करेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहें।
जयपुर (सय्यद शकील अहमद) एडवोकेट
दिनांक-8/9/26 मो.-9413418056, 9024792334

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :- 2603 दिनांक : 29/07/2026
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना मे आवास / फ्लैट संख्या 267/57 (MIG-B) का आवंटन श्री अरविन्द कुमार सेठ पुत्र श्री देव प्रकाश सेठ को किया गया था। तत्पश्चात सुश्री नीना सेठ पुत्री स्व. श्री डी. पी. सेठ द्वारा आवासन मण्डल मे नजदिकी रिश्तेदार के आधार पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर मण्डल रिकार्ड मे इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 85 दिनांक 12.04.1990 के द्वारा इनका नाम दर्ज किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 5264 दिनांक 28.01.2009 को जारी किया गया। सुश्री नीना सेठ द्वारा श्री उमेश चन्द गुप्ता पुत्र स्व. श्री मनोहरी लाल गुप्ता को दिनांक 09.09.2009 को मुख्त्यारनामा आम शाखा नियुक्त किया गया। श्री उमेश चन्द गुप्ता द्वारा सुश्री नीना सेठ के पक्ष मे पंजीयन पत्रो निष्पादन दिनांक 26.11.2009 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री उमेश चन्द गुप्ता द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से उक्त आवास का विक्रय पत्र श्री योगेश उपाध्याय पुत्र श्री शिव चरण लाल उपाध्याय को दिनांक 29.12.2009 विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर मे पंजीकृत करवाया गया गया। क्रेता श्री योगेश उपाध्याय पुत्र श्री शिव चरण लाल उपाध्याय द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तानतरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे / डिस्ट्रा मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री योगेश उपाध्याय पुत्र श्री शिव चरण लाल उपाध्याय का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति को सोने की बताकर बेचने की कोशिश करने वाला पकड़ा

सीआईडी ने ''ऑपरेशन भगवान विष्णु'' चलाकर शातिर ठग को गिरफ्तार किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र में सीआईडी (सीबी) और पुलिस की संयुक्त टीम ने ''ऑपरेशन भगवान विष्णु'' के तहत कार्रवाई करते हुए भगवान की प्राचीन दुर्लभ मूर्ति को सोने की बताकर बेचने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 21 इंच लंबा अष्टधातु का विग्रह बरामद किए हैं। समय रहते की गई इस कार्रवाई से दोनों धर्मों के लोगों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास विफल हो गया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि सीआईडी-सीबी की स्पेशल टीम के सहायक उपनिरीक्षक दुष्यन्त सिंह और हेड कांस्टेबल शाहिद अली को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कार्रवाई की शुरुआत करीब 15 दिन पूर्व हुई, जब सीआईडी (सीबी) के हैड कांस्टेबल शाहिद अली को गुप्त मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहजाद नामक व्यक्ति के पास एक पुरानी सोने की मूर्ति उपलब्ध है और वह उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। सूचना को विकसित करने के बाद टीम ने आरोपी की पहचान और गतिविधियों पर नजर रखी। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों ने बोगस ग्राहक बनकर आरोपी से संपर्क किया। आरोपियों ने शुरुआत में मूर्ति की कीमत 10 लाख रुपये मांगी, लेकिन बोगस ग्राहक बने शाहिद अली से मोलभाव के बाद सौदा 3 लाख 10 हजार रुपये नगद में तय हुआ। इसके बाद गलतागेट थाना क्षेत्र में आरोपी से सौदे की रकम 3 लाख 10 हजार रुपये भी सौंप दी गई। इस रकम में

भगवान का विग्रह

आरोपी अब्दुल समद

ऊपर नीचे के दोनों असली थे, बाकी सभी नोट भारतीय मनोरंजन बैंक के थे। जिसे बाद में थाना पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद कर लिए। मूर्ति को देखने पर उसके सोने की नहीं होने का संदेह स्पष्ट हुआ। इसके बाद टीम ने तत्काल आरोपी को मौके पर ही दस्तयाब कर लिया। संबंधित पुलिस उपायुक्त उत्तर करण शर्मा के समन्वय से गलतागेट थानाधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा को सूचना दी गई। गलतागेट थाना पुलिस के जाप्ते की मदद से सूरजपोल अनाज मंडी के सामने आरोपी अब्दुल समद निवासी सलेमपुर, करौली को पकड़कर गिरफ्तार करवाया गया और आगे की कार्रवाई के लिए थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में अब्दुल कादिर ने बताया कि सौदा पक्का होने के बाद मंगलवार 8 सितंबर की रात शहजाद के कहने पर अब्दुल समद ने अब्दुल कादिर को मूर्ति की डिलीवरी देने जयपुर भेजा और इस काम के बदले उसे 10 हजार रुपये मिलने थे।

बरामद भगवान की मूर्ति को पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों से परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण के बाद यह स्पष्ट होगा कि मूर्ति कितनी पुरानी है, किस धातु की बनी है और इसका कोई ऐतिहासिक अथवा पुरातात्विक महत्व है या नहीं। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ के आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि मूर्ति उसे कहां से मिली और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह या नेटवर्क सक्रिय है। साथ ही मूर्ति की खरीद-फरोख्त से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

- पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 21 इंच लंबा अष्टधातु का विग्रह बरामद किया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से दोनों धर्मों के लोगों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास विफल हो गया।
- बरामद मूर्ति को पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों से परीक्षण कराया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मूर्ति कितनी पुरानी है, किस धातु की बनी है और इसका कोई ऐतिहासिक अथवा पुरातात्विक महत्व है या नहीं।

इस सम्पूर्ण कार्रवाई में सीआईडी (सीबी) के उप निरीक्षक शैलेन्द्र शर्मा कुशल नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक दुष्यन्त सिंह और हेड कांस्टेबल शाहिद अली की विशेष भूमिका रही। हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार, कृष्ण गोपाल और कुलदीप सिंह का भी सराहनीय योगदान रहा। गलतागेट थाना पुलिस की ओर से थानाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक बलबीर सिंह, हेड कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल विजय और राजू सिंह ने सहयोग किया।

राजस्थान संपर्क पर अब होगी ई-जनसुनवाई

जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने सचिवालय स्थित राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाइन (181) में परिवादियों से वीडियो कॉल पर संवाद कर उनकी समस्याएं जानी।

जयपुर (कासं)। राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन को और अधिक मजबूत करने के लिये अब ई-जनसुनवाई प्रक्रिया को अपनाया गया है। बुधवार को जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने सचिवालय स्थित राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाइन (181) पहुंचकर इस पहल की शुरूआत की और परिवादियों से वीडियो कॉल पर संवाद कर उनकी समस्याएं जानी तथा समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ई-जनसुनवाई के माध्यम से परिवादी भागचंद यादव और मुकेश प्रजापत की समस्या को सुना, समझा और विभाग के अधिकारियों से वीडियो वार्तालाप कर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। एसीएस अभय कुमार ने बताया कि वीडियो सुनवाई से परिवादी अपनी समस्या को बेहतर तरीके से समझा सकता है, मौके पर ही पता लगाया जा सकता है कि उसकी समस्या को संबंधित अधिकारी ने ठीक से समझा या नहीं। उम्मीद है कि इस प्रयोग से समस्या समाधान और संतुष्टि स्तर में काफी सुधार होगा। कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रकरणों के निस्तारण की औसत अवधि, लंबित मामलों, कम संतुष्टि प्राप्त श्रेणियों तथा

- अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने हैल्पलाइन पहुंचकर परिवादियों से वीडियो कॉल पर बात की

जल संसाधन विभाग से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवादी की समस्या का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल की कार्यक्षमता को बढ़ाने, डेटा का विश्लेषण करने के लिए पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संपर्क पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सक्षम किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि इससे आमजन की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाया जा सकेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय अपनाने, विभागीय अधिकारियों को परिवादियों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए।

मोतीडूंगरी गणेशजी को अर्पित किए विशाल मोदक

251 किलो के दो विशाल मोदक रहे आकर्षण का केन्द्र

जयपुर। गणेश जन्मोत्सव के अवसर पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में बुधवार को मोदकों की भव्य झांकी सजाई गई। इसमें 251-251 किलो के दो विशाल मोदक, 51-51 किलो के पांच और 21-21 किलो के 21 मोदक शामिल रहे। इसके अलावा 1.25 किलो वजन के 1100 मोदक और हजारों छोटे मोदक भी झांकी में सजाए गए।

मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि मोदक तैयार करने में करीब 3000 किलो घी, 3000 किलो बेसन, 9000 किलो शक्कर और 1000 किलो सूखे मेवों का उपयोग किया गया। भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से मोदक झांकी के दर्शन शुरू हुए, जो देर रात तक जारी रहे। इस दिन मंदिर में बाहर से लाया गया प्रसाद न तो चढ़ाया गया और न ही स्वीकार किया गया। भगवान गणेश को 21, 108 और 1008 मोदक अर्पित किए गए।

वहीं शाम 6 बजे सुगम संगीत और कथक की प्रस्तुति हुई, जबकि शाम 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्रसाद वितरण किया गया।महंत शर्मा ने बताया कि मंदिर में 10 सितंबर को फलों, 11 सितंबर को सब्जियों और 12 सितंबर को फूलों की विशेष झांकी सजाई जाएगी।

इन झांकियों में प्रकृति और भक्ति का संगम देखने को मिलेगा। तीनों दिन शाम 6 बजे कथक की

प्रस्तुति होगी। इसके अलावा ध्रुपद, सुगम संगीत और कथक के कलाकार अपनी कला भगवान गणेश को समर्पित करेंगे।

गौरतलब है कि 13 सितंबर को मेहंदी पूजन और सिंजारा होगा। 14 सितंबर को गणेश जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 5 बजे मंगला आरती से रात 11:40 बजे शयन आरती तक श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे। विशेष पूजन सुबह 11:20 बजे, श्रृंगार आरती 11:30 बजे, भोग आरती दोपहर 2:15 बजे और संध्या आरती शाम 7 बजे होगी। भोग के दौरान दोपहर 1:30 से 2 बजे तक मंदिर के पट मंगल रहेंगे। 15 सितंबर को गणेश जी का नगर भ्रमण होगा।

जयपुर की बदहाली पर रोड शो भारी : खाचरियावास

जयपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर में हुए रोड शो पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बिना अनुमति रोड शो के कारण शहर में करीब पांच घंटे तक जाम की स्थिति रही। इससे आमजन, व्यापारी, कर्मचारी और जरूरी काम से निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

खाचरियावास ने कहा कि जो मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान प्रतिबंधित वॉल सिटी में बिना अनुमति रोड शो कर जनता को घंटों जाम में फंसा सकते हैं, वे जयपुर और राजस्थान का भला कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई साल से जयपुर और प्रदेश की जनता समस्याओं से परेशान है। मुख्यमंत्री खुद जयपुर से विधायक हैं और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी जयपुर से विधायक हैं, इसके बावजूद शहर की सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरे जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय बनी सड़कों के गड्ढे भरने में भी भाजपा सरकार विफल रही है।

15 हजार का इनामी हथियार तस्कर 15 माह बाद गिरफ्तार

जयपुर। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में 15 माह से फरार चल रहे 15 हजार रुपए के इनामी आरोपी मुनेन्द्र सिंह उर्फ मन्नू (35) निवासी लखनपुर जिला भरतपुर हाल मानसरोवर जयपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार, चोरी और मारपीट के छह मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे मानसरोवर स्थित किराए के फ्लैट से पकड़ा। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

डीसीपी जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि 21 मई 2025 को उनियारों के रास्ते स्थित एक मकान में हथियार होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी थी। जहां मौके से राहुल मीणा और राहुल साहू को गिरफ्तार कर एक देशी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। इस संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पूछताछ में राहुल मीणा ने बताया था कि जेल में रहने के दौरान उसकी दोस्ती भरतपुर निवासी मुनेन्द्र सिंह से हुई थी। मुनेन्द्र ने खुद को हथियार सप्लायर बताते हुए जेल से बाहर आने पर संपर्क करने को कहा था। बाद में राहुल भरतपुर गया, जहां मुनेन्द्र ने उसे एक देशी कट्टा और आठ कारतूस दिए थे। मामला दर्ज होने के बाद से मुनेन्द्र फरार था।आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी भंवर सिंह राठौड़ की अगुवाई में विशेष टीम गठित की गई।

उत्तर पश्चिम रेलवे

शुद्धि पत्र संख्या 2

ई-बिडिंग प्रक्रिया की समय-सारणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है: **क्र. सं.:** 1। **घटना का विवरण:** बोली शुरू होने की तिथि। **वर्तमान तिथियां:** 09.09.2026। **संशोधित तिथियां:** 16.09.2026। **क्र. सं.:** 2। **घटना का विवरण:** निविदा बंद होने की तिथि। **वर्तमान तिथियां:** 23.09.2026। **संशोधित तिथियां:** 30.09.2026। **क्र. सं.:** 3। **घटना का विवरण:** RFP के क्लॉज संख्या 2.11.2 में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों का भौतिक जमा (+ 3 कार्य दिवस)। **वर्तमान तिथियां:** 26.09.2026। **संशोधित तिथियां:** 05.10.2026 15:00 बजे तक। **क्र. सं.:** 4। **घटना का विवरण:** बोली खोलने की तिथि और समय (+ 3 कार्य दिवस)। **वर्तमान तिथियां:** 26.09.2026 को 15:00 बजे। **संशोधित तिथियां:** 05.10.2026 को 15:30 बजे। **नोट:-** 1. बोलीदाताओं को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (www.ireps.gov.in) पर पंजीकरण करने के बाद तथा ई-बिड ऑनलाइन डाउनलोड करने की अंतिम तिथि और समय से पहले निविदा प्रसंस्करण शुल्क और बिड दस्तावेज शुल्क का भुगतान करके दस्तावेज डाउनलोड करने होंगे। 2. सभी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-बिड जमा करने से पहले RFP के संशोधन और/या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) अवश्य देख लें। यदि बोलीदाता संशोधित बिड/संशोधन जमा नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने संशोधन/शुद्धिपत्र देख लिया है और बिड तथा ई-बिड का मूल्यांकन उसी अनुसार किया जाएगा। रेलवे का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 3. इस RFP सूचना का शुद्धिपत्र उपर्युक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। यह दस्तावेज निविदा दस्तावेज का एक हिस्सा बनेगा। मूल निविदा दस्तावेज के अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।
मुख्य अभियंता/निर्माण/मुख्यालय
1310-MG/26
हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

पोस्टर-बैनर उतारने को लेकर निगम कर्मचारियों और समर्थकों में विवाद

जयपुर। निकाय चुनाव के माहौल के बीच मानसरोवर क्षेत्र के पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके में चुनावी पोस्टर-बैनर हटाने को लेकर नगर निगम कर्मचारियों और दो पक्षों के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत कराया।

जानकारी के अनुसार नगर निगम कर्मचारियों की टीम चुनावी पोस्टर-बैनर हटाने की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान कर्मचारियों ने मुकेश काका का एक पोस्टर हटाया। इसके बाद कर्मचारियों द्वारा धर्मसिंह सिंघानिया के तीन से चार पोस्टर भी हटाए गए। इसे लेकर धर्मसिंह के समर्थक नाराज हो गए और मौके पर विवाद की स्थिति बन गई।मामले की जानकारी मिलते ही धर्मसिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने निगम कर्मचारियों से चुनावी पोस्टर-बैनर हटाने में नियमों के अनुसार समान रूप से कार्रवाई करने की बात कही।

6 माह से कम समय में रीको ने जारी की 2800 करोड़ रुपए की 250 से अधिक स्वीकृतियां

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में रीको द्वारा लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत की निर्बाध उपलब्धता, सड़कों के निर्माण एवं सुधार तथा अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के आधुनिक एवं सुदृढ़ विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम छमाही पूरी होने से पहले ही रीको द्वारा 2800 करोड़ रुपये से अधिक की 250 से ज्यादा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

- 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 1100 करोड़ रु. प्रशासनिक मंजूरी जारी की

इसके साथ ही विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन के लिए 1460 कार्यादेश जारी किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 1000 करोड़ रुपये से अधिक है। ये कार्यादेश औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, विद्युत, जल निकासी सहित अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राज्य में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार करने के उद्देश्य से रीको द्वारा 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास के लिए 1100 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इनमें स्टोन मंडी, बडनूर (अजमेर), औद्योगिक क्षेत्र देरोली (कोटा), औद्योगिक क्षेत्र सांकरिया (भीलवाड़ा), औद्योगिक क्षेत्र देवनगर, तहसील फागी (जयपुर), स्टोन मंडी, दौसा, औद्योगिक क्षेत्र हाजी सागर (मंडौर) तथा औद्योगिक क्षेत्र राजूखेड़ा, तहसील रामगंजमंडी (कोटा) सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित हैं।

चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सरकार का शिकंजा

40 संवेदनशील स्थलों पर हाईटेक निगरानी की जाएगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध बालू-बजरी खनन और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के तहत सरकार ने अधिकांश महत्वपूर्ण अनुपालन पूरे कर लिए हैं। बुधवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में हुई बैठक में अब तक की कार्रवाई और आगामी न्यायालयीन सुनवाई की तैयारियों की समीक्षा की गई। सरकार ने अभयारण्य क्षेत्र में 40 अत्यधिक संवेदनशील स्थलों की पहचान की है। इन स्थानों पर अवैध खनन और परिवहन पर नजर रखने के लिए हाई-मास्ट टावर, ऑप्टिकल फाइबर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और तापीय रात्रि-दृष्टि वाले कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नदी के बदलते स्वरूप और नए रास्तों की पहचान के लिए मानसून के बाद नियमित ड्रोन सर्वे भी कराया जाएगा। तकनीकी निगरानी के साथ मौके पर सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है।

चंबल अभयारण्य में अवैध बालू-बजरी खनन और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई।

धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और कोटा जिलों में चिन्हित 40 संवेदनशील स्थलों पर पांच-पांच सशस्त्र होमगार्ड जवानों की तैनाती के लिए बजट स्वीकृत और आवंटित किया जा चुका है। यानी इन स्थानों पर कुल 200 सशस्त्र जवान तैनात किए जाने की व्यवस्था की गई है।

राजस्व, पुलिस, वन और खनन विभाग की संयुक्त टीमें उपखंड स्तर पर सप्ताह में दो बार आकस्मिक निरीक्षण करेंगी। इन टीमों के पास जीपीएस और शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरे होंगे, ताकि कार्रवाई की निगरानी और रिकॉर्डिंग भी की जा सके। अवैध खनन की सूचना आमजन भी दे सकें, इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऑनलाइन सार्वजनिक सूचना पट और राजस्थान संपर्क-181 पर क्यूआर कोड आधारित शिकायत व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से लोग स्थान की जानकारी के साथ फोटो और वीडियो भी गोपनीय रूप से भेज सकेंगे। सरकार वैध बालू के विकल्प के रूप में एम-सैंड इकाइयों को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। वहीं अभयारण्य सीमा से जुड़े राजस्व क्षेत्रों को वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की संभावनाओं की जांच के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं।

मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को 31 अगस्त तक की कार्रवाई का अद्यतन विवरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें अवैध खनन के मामलों, जब्त वाहनों और मशीनरी तथा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की स्थिति शामिल होगी।

उन्होंने कहा कि चंबल अभयारण्य की जैव विविधता, घड़ियालों और जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार न्यायालय के निर्देशों की पूरी तरह पालना सुनिश्चित करने के लिए शून्य-सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की समयबद्ध पालना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। समिति में खान, वन, गृह, राजस्व, वित्त, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उच्चाधिकारी तथा संबंधित पांच जिलों के जिला कलेक्टर शामिल होंगे। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, निगरानी तंत्र और मासिक प्रगति की नियमित समीक्षा करेगी। चंबल में अब अवैध खनन पर नजर सिर्फ गश्ती दल की नहीं, बल्कि कैमरों, ड्रोन और बहु-विभागीय निगरानी तंत्र की भी होगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर आम सूचना रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जे एल एन मार्ग, जयपुर
क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-118
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 313040 दिनांक 08/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ashok kumar Meena S/o Kanhaiya Lal Meena एवं Kailashi Devi W/o Kana Ram एवं Sanu Meena D/o Kanhaiya Lal Meena	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री रामजी लाल	27	45-00 Sq. Meter	JDA	KALPNA NAGAR Sector/ Block-A	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (